

## कार्यालयादेश

मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में सम्बद्ध संस्थानों के शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा निम्न शुल्क निर्धारण की संस्तुति पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन पर सत्र 2015-16 से अग्रिम आदेशों तक विभिन्न विषयों के मान्यता एवं सम्बद्धता हेतु निम्न शुल्क का निर्धारण किया गया है, तथा विभिन्न संस्थानों द्वारा मान्यता हेतु विश्वविद्यालय में शुल्क जमा करने पर विश्वविद्यालय से निरीक्षण मण्डल का गठन होने के पश्चात कोई संस्थान अपना मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र वापस लेकर जमा फीस को लौटाने हेतु आवेदन करता है, तो उक्त की जमा धनराशि में 10 प्रतिशत की कटौती करते हुये इसे वापस लौटायी जायेगी।

क्रम0सं0	शुल्क की मद	श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क वृद्धि	
1.	Prossing Fee	M.A.(Each Subject) B.A.(Up to five Subject) B.Lib & Information Science (One Year) B.Com M.Com B.Sc(Up to five subject)/B.Sc(Ag./Food Technology/Horticulture/Forestry)(Each Course) M.Sc(Per Subject) BBA/BCA/B.Sc(IT)/BFA/BBA(HM)/ BJMC M.Sc(Ag.)/MBA/MCA/M.Sc(IT)/M.A. Mass Communication & Journalism/MBA(Tourism) M.Lib/M.Sc(Micro/ Biochemistry /Bioinformatics) B.Ed/M.Ed-	1,00,000 80,000 & (Then 10,000 in each subject) 80,000 80,000, 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000 2,00,000
2.	Reinspection Fee		Rs. 20,000
3.	Late Fee -for filling Affiliation Application		Rs. 10000 for a weak, Rs. 20,000 (for two weak)
4.	Fee for approving change of name of the Institution/ Management/Location		Rs. 30,000

आज्ञा से,  
कुलपति।


**श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।**

पत्रांक- 1580/SDSUV/Admin./2015

दिनांक:-25/03/2015.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों को।
2. निजी सचिव, कुलपति सचिवालय, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव महोदय।
4. वित्त अधिकारी।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)।
6. प्रभारी प्रशासन/प्रभारी मान्यता/परीक्षा प्रभारी।
7. कार्यालय प्रति।

  
कुलसचिव।  
*Rach*